373/Dir(IS-VII)/2014
20/03/2014

93

2545551-RTI/DS(4)/14
19/3/2014

RTI/55/DS(4)/14
20/3/14

स्पीड पोस्ट द्वारा
अति तत्काल

सं.17014/35/2013-आई एस-VII
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 12th मार्च, 2014

सेवा में

श्री मनोज गौतम,
मार्फत श्री सतीश गुप्ता, 107/325 प्रेम विहार,
आइसक्रीम वाली गली, माधव पुरम, दिल्ली रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश।

विषय: श्री मनोज गौतम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन।

महोदय,

कृपया अवर सचिव, आर टी आई, गृह मंत्रालय के दिनांक 04.03.2014 के का. ज्ञा. सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई द्वारा अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित अपने दिनांक 23.02.2014 के पत्र का अवलोकन करें, जो दिनांक 06.03.2014 को प्राप्त हुआ।

2. आपके आवेदन के बिन्दु सं. 1 के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के अंतर्गत नहीं आती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(झ) तथा 2 (ञ) के साथ पठित धारा 2(च) में परिभाषित है।

3. आपके आवेदन के बिन्दु सं. 2 के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पंजाब में आतंकवाद 1980 के वर्षों की शुरुआत में हुआ और यह 1990 के वर्षों तक रहा।

4. आपके आवेदन के बिंदु सं. 3 तथा 4 के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1980 तथा 1990 के वर्षों में पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकवादियों द्वारा 11694 नागरिक मारे गए और 1784 सुरक्षा बल कार्मिक हताहत हुए। अधोहस्ताक्षरी के रिकॉर्ड में मृतक व्यक्तियों का धर्म के अनुसार वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है।

5. आपके आवेदन के बिंदु सं. 5 में मांगी गई सूचना पंजाब राज्य सरकार से निकट रूप से संबंधित है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त करें।

19/3/2014

US(Legal) 19/3/14

The enclosures not received. Hence returned with a request to furnish the same. 19/3/14

Dir(IS-VII)
US(IS-VII)
S.O.(IS-VII)

Pl. send the enclosures req. 20/3/14

आपके आवेदन के बिंदु सं. 6 तथा 7 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि यह विषय इस मंत्रालय के आई एस-।। प्रभाग से संबंध रखता है। अतः केन्द्र सरकार से संबंधित सूचना के लिए आपका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जा रहा है। इन बिन्दुओं के तहत पंजाब राज्य सरकार से संबंधित सूचना के लिए आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना सीधे राज्य सरकार से ही प्राप्त करें।

7. बिंदु सं. 8 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि यह विषय इस मंत्रालय के यू टी प्रभाग से संबंधित है। अतः सूचना सीधे ही आपको उपलब्ध कराने के लिए आपका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जा रहा है।

8. इस उत्तर के विरुद्ध यदि कोई अपील है, तो 30 दिन के भीतर श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (आई एस-।) तथा अपील प्राधिकारी, कमरा सं. 197 ख, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के समक्ष दायर की जा सकती है।

भवदीय

12.03.2014

(राजेश कुमार गुप्ता)
निदेशक (आई एस ।।।) तथा
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपिः-

1. श्री एन के जॉब, उप सचिव (विधि)/के.लो.सू.अ., आई एस-।। प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली-आवेदन के बिंदु सं. 6 तथा 7 के संबंध में आवेदन की एक प्रति संलग्न है। आवेदक द्वारा 10/- रु. के अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। यदि इसकी विषय-वस्तु किसी अन्य केन्द्रीय लो.सू.अ./लोक प्राधिकरी से संबंधित हो तो इसे सीधे ही उक्त प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए और उसकी सूचना आवेदक को दे दी जाए।

2. श्रीमती एस. सुधा, अवर सचिव (डी पी-।।) तथा के.लो.सू.अ., यू टी प्रभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक-बिंदु सं. 8 के संबंध में आवेदन की एक प्रति संलग्न है। आवेदक द्वारा 10/- रु. के अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। यदि इसकी विषय-वस्तु किसी अन्य केन्द्रीय लो.सू.अ./लोक प्राधिकरी से संबंधित हो तो इसे सीधे ही उक्त प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए और उसकी सूचना आवेदक को दे दी जाए।

21 2014

P. issue
R 87.
18/3.

स्पीड पोस्ट द्वारा
अति तत्काल

सं.17014/35/2013-आई एस-VII
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 12th मार्च, 2014

सेवा में

श्री मनोज गौतम,
मार्फत श्री सतीश गुप्ता, 107/325 प्रेम विहार,
आइसक्रीम वाली गली, माधव मुरम, दिल्ली रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश।

विषय: श्री मनोज गौतम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन।

महोदय,

कृपया अवर सचिव, आर टी आई, गृह मंत्रालय के दिनांक 04.03.2014 के का. ज्ञा. सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई द्वारा अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित अपने दिनांक 23.02.2014 के पत्र का अवलोकन करें, जो दिनांक 06.03.2014 को प्राप्त हुआ।

2. आपके आवेदन के बिन्दु सं. 1 के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के अंतर्गत नहीं आती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(झ) तथा 2 (ञ) के साथ पठित धारा 2(च) में परिभाषित है।

3. आपके आवेदन के बिन्दु सं. 2 के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पंजाब में आतंकवाद 1980 के वर्षों की शुरूआत में हुआ और यह 1990 के वर्षों तक रहा।

4. आपके आवेदन के बिंदु सं. 3 तथा 4 के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1980 तथा 1990 के वर्षों में पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकवादियों द्वारा 11694 नागरिक मारे गए और 1784 सुरक्षा बल कार्मिक हताहत हुए। अधोहस्ताक्षरी के रिकॉर्ड में मृतक व्यक्तियों का धर्म के अनुसार वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है।

5. आपके आवेदन के बिंदु सं. 5 में मांगी गई सूचना पंजाब राज्य सरकार से निकट रूप से संबंधित है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त करें।

6. आपके आवेदन के बिंदु सं. 6 तथा 7 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि यह विषय इस मंत्रालय के आई एस-।। प्रभाग से संबंध रखता है। अत: केन्द्र सरकार से संबंधित सूचना के लिए आपका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जा रहा है। इन बिन्दुओं के तहत पंजाब राज्य सरकार से संबंधित सूचना के लिए आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना सीधे राज्य सरकार से ही प्राप्त करें।

7. बिंदु सं. 8 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि यह विषय इस मंत्रालय के यू टी प्रभाग से संबंधित है। अत: सूचना सीधे ही आपको उपलब्ध कराने के लिए आपका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जा रहा है।

8. इस उत्तर के विरुद्ध यदि कोई अपील है, तो 30 दिन के भीतर श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (आई एस-।) तथा अपील प्राधिकारी, कमरा सं. 197 ख, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के समक्ष दायर की जा सकती है।

भवदीय

12.03.2014

(राजेश कुमार गुप्ता)
निदेशक (आई एस ।।।) तथा
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:-

1. श्री एन के जॉब, उप सचिव (विधि)/के.लो.सू.अ., आई एस-।। प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली-आवेदन के बिंदु सं. 6 तथा 7 के संबंध में आवेदन की एक प्रति संलग्न है। आवेदक द्वारा 10/- रु. के अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। यदि इसकी विषय-वस्तु किसी अन्य केन्द्रीय लो.सू.अ./लोक प्राधिकरी से संबंधित हो तो इसे सीधे ही उक्त प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए और उसकी सूचना आवेदक को दे दी जाए।

Recd. without enclosure i.e. R.T.I. app. 13/3

2. श्रीमती एस. सुधा, अवर सचिव (डी पी-।।) तथा के.लो.सू.अ., यू टी प्रभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक-बिंदु सं. 8 के संबंध में आवेदन की एक प्रति संलग्न है। आवेदक द्वारा 10/- रु. के अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। यदि इसकी विषय-वस्तु किसी अन्य केन्द्रीय लो.सू.अ./लोक प्राधिकरी से संबंधित हो तो इसे सीधे ही उक्त प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए और उसकी सूचना आवेदक को दे दी जाए।

13 MAR 2014

305/D(4)/... 6/3/14

4/15 VII/RTI/014 10/3

'67'

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2014/आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 4/3/ 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज गौतम का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज गौतम के दिनांक 23/2/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ ....से अंतरण द्वारा दिनांक 27/2/2014 को प्राप्त) को आई.एस.I एवं यू.टी. प्रभाग को अंग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अंग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 28/2/2014 की रसीद सं. 280195 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

Received on 06.03.14

US (CS-VII) Pl. put up 6/3/14

(हस्ताक्षर)

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

(1) निदेशक (आई एस-III) गृह मन्त्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

(2) अवर सचिव (दिल्ली) गृह मन्त्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज गौतम

C/o सतीश गुप्ता, 107/325 प्रेम विहार

आइसक्रीम वाली गली, माधवपुरम

दिल्ली रोड, मेरठ (उ० प्र०)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

By Speed Post
Most Immediate

No.17014/35/2013-IS.VII
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi
Dated the, 12th March, 2014

To

Sh. Manoj Gautam,
C/o Satish Gupta, 107/325, Prem Vihar,
Icecream wali Gali, Madhav Muram, Delhi Road,
Meerut, Uttar Pradesh.

Subject: An application made under Section 6(1) of the RTI Act, 2005 by Sh. Manoj Gautam.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 23-02-2014 transferred by Under Secretary, RTI, Ministry of Home Affairs to the undersigned CPIO vide OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 04-03-2014 (received on 06-03-2014).

2. Regarding point 1 of your application it is informed that the same is not covered as information under the RTI Act, 2005 as defined in section 2(f) read with section 2(i) and 2(j) of the Act.

3. With regard to point 2 of your application, as per available records with the undersigned the terrorism in Punjab was started in early 1980s and lasted upto 1990s.

4. With regard to point 3 and 4 of your application it is informed that as per records available with the undersigned CPIO during the phase of terrorism in Punjab in 1980 and 90s, 11694 number of civilians were killed by terrorists and 1784 number of security force personal also suffered casualties. The religion wise segregation of deceased persons is not available in the records of undersigned CPIO.

5. The information sought under Point 5 of your application is more closely related to the State Govt. of Punjab , therefore, you may obtain the information directly from the State Govt. of Punjab under Section 6(1) of the RTI Act, 2005.

6. With regard to information sought under Points 6&7 of your application it is informed that the subject matter pertains to the IS.II Division of this Ministry. As such for information pertaining the central government your application is being transferred to the concerned CPIO in terms of section 6(3) of the RTI Act 2005. For information sought under these points pertaining to the State Government of Punjab you may obtain the information directly from the State Government under section 6(1) of the RTI Act 2005.

contd...

7. With regard to information sought under point 8, it is stated that the subject matter pertains to UT Division of this Ministry. As such your application is being transferred to the concerned CPIO in terms of Section 6(3) of the RTI Act, for providing information directly to you.

8. An appeal if any, against this reply, may be preferred within 30 days before Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (IS-I) & Appellate Authority, Room No.197-B, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

12/3/14

(Rajesh Kumar Gupta)
Director (IS.III) & CPIO

Copy for information and necessary action to:

1. **Shri N.K. Jab, Deputy Secretary (Legal) /CPIO, IS-II Division, MHA, NDCC-II , Jai Singh Road, New Delhi,** - With respect to **Point 6 and 7** of the RTI application. A copy of the application is enclosed. The applicant has paid the requisite fees of Rs.10. In case the subject matter pertains to any other CPIO/Public authority the application may be further transferred to that Authority directly under intimation to the applicant.

2. **Smt. S. Sudha, Under Secretary (DP-II), & CPIO, UT Division, Ministry of Home Affairs, North Block**- with respect to point 8 of the RTI application. A copy of the application is enclosed. The applicant has paid the requisite fees of Rs.10. In case the subject matter pertains to any other CPIO/Public authority the application may be further transferred to that Authority directly under intimation to the applicant.

Recd
14/3/14

Hindi version will follow.

o/c